संख्या-42/2025-814-1-22-4-2025-1850687

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 30 सितंबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 06 कारागारों यथा-जिला कारागार, लखनऊ, चित्रकूट, कासगंज, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, एवं केन्द्रीय कारागार बरेली-2 पर Tower of Harmonious Call Blocking System" (T-HCBS) की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34651/आधु-1/टी0एच0सी0बीएस0/25-26, दिनांक 02.09.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 06 कारागारों यथा-जिला कारागार लखनऊ, चित्रकूट, कासगंज, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर एवं केन्द्रीय कारागार बरेली-2 Tower of Harmonious Call Blocking System (T-HCBS) (one year maintenance included) की स्थापना हेतु धनराशि **रू0 914.74 लाख (रू0 नौ करोड़ चौदह लाख चौहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) महानिरीक्षक कारागार जिला कारागार लखनऊ, चित्रकूट, कासगंज, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर एवं केन्द्रीय कारागार बरेली-2 में उपकरण सहित Tower of Harmonious Call Blocking System (T-HCBS) (one year maintenance included) की स्थापना हेतु क्रयार्थ उपकरण/सामग्री का क्रय सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर नियमानुसार किया जाएगा। इस संबंध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा क्रयार्थ उपकरण/सामग्री का क्रय किये जाने हेतु यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित क्रयार्थ उपकरण/सामग्री के मेक/मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक कारागार क्रयार्थ उपकरण का क्रय की गुणवत्ता/उपयोगिता तथा समयान्तर्गत आपूर्ति के संबंध में पूर्णत: संतुष्ट हो लेगें।

(5) उपकरण का क्रयका क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा

(6) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) महानिरीक्षक कारागार प्रश्नगत कार्य हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के संबंध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(8) महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,14,74,000 (रुपये नौ करोड़ चौदह लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-12-303-X-2025-26, दिनांक: 29.09.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2025-814-1-22-4-2025-1850687,तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।